राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3008/2024

कविता जसोरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.09.2024
आदेश की दिनांक : 22.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति विकास अधिकारी के पद पर हुई थी और उसे राज्य सरकार

द्वारा कई बार स्थानांतरण किया गया। आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति, परबतसर, नागौर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 22.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसे अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई और अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2024 को किया गया। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और राजस्थान सेवा नियम के नियम 25 के विपरीत जाकर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो नियम विरूद्ध है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी स्थानांतरण आदि के संबंध में जारी किये गये आदेशों को एवं आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने वाले आदेशों को भी अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को पंचायत समिति, परबतसर, जिला नागौर में निरंतर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 13.07.2024 से 23.07.2024 तक पंचायत समिति, परबतसर में अनुपस्थित रही। जबकि सक्षम स्तर से किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं करवाया गया। फिर भी अपीलार्थी ने जुलाई माह का पूरा वेतन आहरण किया और इस प्रकार स्वेच्छा से बिना स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के लिये अपीलार्थी उत्तरदायी है। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य एपीओ आदेश सक्षम स्तर से निर्णय एवं अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति

परबतसर, जिला नागौर में कार्यरत है। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदि पर लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद उक्त आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को इच्छित स्थान पर स्थानांतरण करने के उद्देश्य से आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया है अपितु अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत एवं आरोप पत्र दिये जाने के क्रम में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदि पर लगे प्रतिबंध के बावजूद स्थानांतरण आदि के संबंध में जारी किये जाने वाले आदेशों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति आवश्यक है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत है कि अपीलार्थी बिना स्वीकृत कराये अवकाश पर रही है और अवकाश के दिनों का पूर्ण वेतन भी आहरित किया गया है, जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है और उसे आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्थानांतरण के आधार पर आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया है और अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य एपीओ आदेश दिनांक 25.09.2024 नियमानुसार जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष